न्यायालय डिवीजनल कमिश्नर, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी– *बी0 एल0 कोठारी, आई.ए.एस*

राजस्व अपील संख्या   /2019

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्टस
भरत कुमार पुत्र जगता निवासी–रायपुरिया, तहसील जालोर।		1. जेठाराम पुत्र भीमाजी निवासी–रायपुरिया तहसील–जालोर। 2. पप्पाराम पुत्र नरसाराम निवासी–नरसाना, तहसील जालोर। 3. अचलाराम पुत्र लालाराम निवासी–नून तहसील जालोर। 4. अदरिंगाराम पुत्र अमराराम निवासी–तीखी, तहसील जालोर। 5. राज0 सरकार जरिये तहसीलदार जालोर।

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा–75, राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध आदेश न्यायालय तहसीलदार, जालोर के द्वारा रिमाण्ड प्रकरण संख्या 01/2018 जेठाराम वगैराह बनाम राज्य वगैराह में दिनांक 06.06.2018 को पारित किया गया।

<u>उपस्थितिः–</u>
1. श्री विक्रम शर्मा, अधिवक्ता अपीलार्थी की ओर से उपस्थित।
2. श्री छोटूसिंह, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट की ओर से उपस्थित।

निर्णय

दिनांकः–   27 नवम्बर, 2019

1.   पत्रावली पेश हुई। अपीलान्ट के अधिवक्ता एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 4 के अधिवक्ता (केविएटर) उपस्थित है। अपीलान्ट के द्वारा प्रस्तुत यह प्रथम अपील अति0 जिला कलेक्टर जालोर द्वारा प्रथम अपील संख्या 18/2019 में पारित निर्णय दिनांक 21.10.2019 तथा न्यायालय तहसीलदार, जालोर के द्वारा रिमाण्ड प्रकरण संख्या 01/2018 जेठाराम वगैराह बनाम राज्य वगैराह में दिनांक 06.06.2018 को पारित किये गये निर्णय के विरूद्ध राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के तहत न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

2.   विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में कथन किया कि यह प्रथम अपील भू.राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 (च) के तहत प्रस्तुत की है। उनका कथन था कि तहसीलदार जालोर ने अपीलाधीन आदेश राज0 भू राजस्व अधिनियम

की धारा 135 (2) के तहत दिनांक 6.6.2018 को पारित किया है। उक्त आदेश के विरूद्ध प्रथम अपील 12/2019 न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई जिस पर न्यायालय हाजा के द्वारा ऐसे में प्रकरणों में प्रथम अपील जिला कलेक्टर के समक्ष राज0 भू राजस्व अधिनियम की धारा 75 (क) के तहत होने का उल्लेख करते हुए दिनांक 4.9.2019 को उन्हें लौटा दी। जिसके क्रम में उनके द्वारा नये सिरे से प्रथम अपील संख्या 18/2019 अति0 जिला कलेक्टर जालोर के समक्ष प्रस्तुत की। अति0 जिला कलेक्टर जालोर ने उनकी अपील को यह अंकित करते हुए दिनांक 21.10.2019 उन्हे लौटा दी कि तहसीलदार जालोर द्वारा राज0 भू राजस्व अधिनियम की धारा 135 (2) के तहत भू अभिलेख अधिकारी की हैसियत से पारित किया गया है। ऐसे में उक्त आदेश के विरूद्ध अपील सुनने का क्षेत्राधिकार कलेक्टर को नहीं है। जैसा कि राजस्व मण्डल के निर्णय तुलसी बनाम परमेश्वर (आरएलडब्लू 2004, आरजे 551 तथा 2004 आरआरडी पेज 101 तथा आरआरडी 1989 पेज 266–68, दया भारती बनाम दया भारती के अनुसार) उक्त अपील सुनने का अधिकार राज0 भू राजस्व अधिनियम की धारा 75 (एफ) के तहत भू अभिलेख निदेशक को है। अति0 जिला कलेक्टर जालोर के उक्त आदेश के क्रम में उनके द्वारा यह प्रथम अपील न्यायालय हाजा के समक्ष पुनः प्रस्तुत कर रहे है। इस संबंध में उन्होंने हमारा ध्यान राजस्व विभाग के नोटिफिकेशन क्रमांक एफ.1 (236) राज0/डी/56 दिनांक 27.10.1956 की ओर आकर्षित किया।

3. प्रस्तुत की गई अपील के गुणावगुण पर सुने जाने से पूर्व उक्त अपील को सुने जाने बाबत न्यायालय हाजा के क्षेत्राधिकारिता पर राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 का अवलोकन किया जो इस प्रकार से हैः––

धारा 75 के तह प्रथम अपील सिवाय, जबकि इस अधिनियम से अन्यथा उपबन्धित किया गया हो, प्रथम अपील

(क) भू प्रबन्ध अथवा भूमि अभिलेख से असम्बन्धित मामलें में तहसीलदारों द्वारा दी गई मूल आज्ञा से कलक्टर को,

(ख) सहायक कलक्टर या उपखण्ड अधिकारी या कलक्टर द्वारा भू प्रबन्ध से असम्बन्धित मामलों में दी गई मूल आज्ञा से राजस्व अपील अधिकारी को

(ग) भू प्रबन्ध अधिकारी के अधीनस्थ राजस्व न्यायालय अधिकारी द्वारा दी गई मूल आज्ञा से भू प्रबन्ध अधिकारी को,

(घ) भू अभिलेख अधिकारी के अधीनस्थ के अधीनस्थ राजस्व न्यायालय या अधिकारी द्वारा दी गई मूल आज्ञा से भू अभिलेख अधिकारी को,

(ड) भू प्रबन्ध से सम्बन्धित मामलों में भू प्रबन्ध अधिकारी या कलक्टर द्वारा दी गई मूल आज्ञा से भू प्रबन्ध आयुक्त को,

(च) **भू अभिलेख से सम्बन्धित मामलों में भू अभिलेख अधिकारी द्वारा दी गई मूल आज्ञा से भू अभिलेख निदेशक को,**

(छ) आयुक्त या अतिरिक्त आयुक्त, राजस्व अपील प्राधिकारी अथवा भू प्रबन्ध आयुक्त द्वारा दी गई मूल आज्ञा से बोर्ड राजस्व मण्डल को होगी।

4. इसी प्रकार राजस्व विभाग के नोटिफिकेशन एफ.1 (236) राज0/डी/56 दिनांक 27.10.1956 एवं अधिनियम की धारा 135 को यहां उद्धरित करना समीचीन होगा।

- नोटिफिकेशन एफ.1 (236) राज0/डी/56 दिनांक 27.10.1956 के अनुसार इस प्रकार से हैः——

  "In pursuance of clause (b) of Section 260 of the Rajasthan Land Revenue Act 1975 (No.15 of 1956) the State Government is pleased to direct that the powers of a Land Records Officer to decide disputed cases referred to in sub-clause (2) of section 135 of the Act shall also be excercirced by Tehsildars."

- धारा 135 एलआर एक्ट इस प्रकार से हैः——

  सूचना मिलने पर प्रक्रिया

  ''(1) ऐसी सूचनाएं प्राप्त होने पर या अन्यथा ऐसे तथ्यों का ज्ञान होने पर तहसीलदार ऐसी जॉच करेगा जो आवश्यक प्रतीत हो और निर्विवाद मामलों में यदि यह प्रतीत हो कि उत्तराधिकार या अन्तरण या अन्य अवाप्ति हो चुकी है तो वह उसे वार्षिक रजिस्टरों में अभिलिखित करेगां।

  (2) यदि उत्तराधिकार या अन्तरण या अन्य प्रकार अवाप्ति विवादास्पद हो तो तहसीलदार, यदि वह इस अधिनियम या तत्समय प्रभावशाली किसी अन्य विधि के अन्तर्गत सक्षम हो, विधि के अनुसार ऐसे विवाद का निर्णय करेगा और यदि इस प्रकार सक्षम न हो तो विवाद को किसी अन्य अधिकारी के पास, जो निर्णय देने में समक्ष हो, भेज देगा।''

5. धारा 135 (2) के अनुसार उत्तराधिकार या अन्तरण या अन्य प्रकार अवाप्ति विवादास्पद हो तो तहसीलदार, यदि वह इस अधिनियम या तत्समय प्रभावशाली किसी अन्य विधि के अन्तर्गत सक्षम हो, तो विधि के अनुसार ऐसे विवाद का निर्णय करेगा और यदि इस प्रकार सक्षम न हो तो विवाद को किसी अन्य अधिकारी के पास, जो निर्णय देने में समक्ष हो, भेज देगा।'' इस प्रकार स्पष्ट है कि इस धारा में भू अभिलेख अधिकारी (एल.आर.ओ.) का कोई उल्लेख नहीं है। अतः ऐसी स्थिति में ऐसे विवादास्पद मामलों को निपटाने के लिये भू अभिलेख अधिकारी LRO इस धारा

135(2) के तहत क्षेत्राधिकार के अभाव में कोई श्रवणाधिकार नहीं रखता है। अतः उक्त नोटिफिकेशन से तहसीलदार को एल.आर.ओ. की शक्तियां दे दिये जाने के पश्चात भी उसे ऐसे प्रकरण सुनने एवं निर्णय करने की अधिकारिता प्राप्त नहीं हो जाती है।

6. यह भी सर्वविदित है कि तहसीलदार विरासत, वसीयत इत्यादि के विवादास्पद मामलों को इस अधिनियम अर्थात भू राजस्व अधिनियम 1956 अथवा इस प्रकार के मामलों के निस्तारण से संबंधित अधिनियमों अर्थात TP Act./Succession Act, Tenancy Act आदि के तहत सुनने एवं उसका निस्तारण करने के लिये सक्षम अधिकारिता एवं क्षेत्राधिकार नहीं रखता है। ऐसी स्थिति में तहसीलदार धारा 135(2) में वर्णित विवादास्पद मामलों को सुनने एवं उस पर निर्णय करने हेतु तहसीलदार की हैसियत से सक्षम नहीं है। यही स्थिति भू अभिलेख अधिकारी (एल.आर.ओ.) की स्थिति उपरोक्त अधिनियम के तहत है।

7. धारा 135(2) के तहत उत्तराधिकार या अन्तरण या अन्य प्रकार अवापित के विवादास्पद प्रकरणों को निर्णित करने हेतु भू अभिलेख अधिकारी को अधिकृत किया नही किया हुआ है। ऐसी स्थिति में राज्य सरकार के नोटिफिकेशन एफ.1 (236)राज0/डी/56 दिनांक 27.10.1956 से तहसीलदार को भू अभिलेख अधिकारी की शक्तियां प्रदान कर दिये जाने पर भी वह धारा 135(2) के तहत उत्तराधिकार, अन्तरण एवं अन्य अवाप्ति के विवादास्पद मामलों के निस्तारण हेतु अधिकृत नहीं हो जाता है।

8. हमने अपीलाधीन आदेश का भी अवलोकन किया जिस पर न्यायालय तहसीलदार लिखा है व निर्णय भी तहसीलदार की हैसियत से ही हस्ताक्षरित है, से स्पष्ट है कि पीठासीन अधिकारी ने तहसीलदार की हैसियत से ही प्रकरण को निर्णित किया है। ऐसी स्थिति में इसकी अपील धारा 75(एफ) के तहत न्यायालय हाजा के श्रवणधिकार में नहीं होकर धारा 75(क) के तहत जिला कलेक्टर के श्रवणाधिकार में आती है। ऐसे में प्रस्तुत अपील अपीलान्ट को सक्षम स्तर पर पर प्रस्तुत किये जाने हेतु लौटाई जाना न्यायोचित होगा। पत्रावली दर्ज रजिस्टर होकर नम्बर से कम हो। अपील इसी स्तर पर निस्तारित की जाकर अपीलान्ट को लौटाई जाती है। निर्णय आज दिनांक 27.11.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बी0 एल0 कोठारी)
डिवीजनल कमिशनर,
जोधपुर